UPMO010021612023

न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट सं0 02, मुरादाबाद

पीठासीन अधिकारी- (पुनीत कुमार गुप्ता),

(उच्चतर न्यायिक सेवा) - UP06114

फौजदारी अपील संख्या– 14/2023

1. मौ0 अब्दुल्ला आज़म खान
पुत्र मौ0 आज़म खान,
निवासी–मौहल्ला घेर, मीरबाज़ खॉ, जेल रोड, जिला रामपुर।

..................अपीलकर्ता।

बनाम

1. उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी, मुरादाबाद।

...................प्रत्यर्थीगण।

निस्तारण स्थगन प्रार्थना पत्र 7बी

1. अपीलकर्ता मौ0 अब्दुल्ला आज़म खान द्वारा यह फौजदारी अपील मु0अ0सं0 01/2008, वाद सं0 366/2022, राज्य बनाम राजेश यादव एवं अन्य, अंतर्गत धारा 353,341 भा0दं0सं0 एवं धारा 7 क्रि0लॉ0ए0एक्ट, थाना छजलैट, जिला मुरादाबाद, में संबंधित न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजि0, कोर्ट सं0 04, मुरादाबाद द्वारा पारित प्रश्नगत आदेश दि0 13.02.2023 से विक्षुब्ध होकर योजित की गयी है, जिसके द्वारा अवर न्यायालय द्वारा अपीलकर्ता को दोषसिद्ध किया गया है। साथ ही, अपीलकर्ता की ओर से दौरान विचारण वर्तमान अपील, अपीलकर्ता को जमानत प्रदान करने एवं प्रश्नगत दोषसिद्धि निर्णय एवं दण्डादेश दि0 13.02.2023 के क्रियान्वयन को स्थगित एवं निलम्बित किये जाने का आदेश पारित किये जाने संबंधी प्रार्थना पत्र 7बी मय शपथ पत्र 8बी प्रस्तुत किया गया है।
2. संक्षेप में, वह तथ्य जिनके आधार पर प्रार्थना पत्र 7बी प्रस्तुत किया गया है, इस प्रकार हैं कि अपीलकर्ता दौराने विचारण विद्वान विचारणीय न्यायालय से

नियमित जमानत पर था तथा प्रश्नगत निर्णय पारित होने के पश्चात अपीलकर्ता को धारा 389 (3) दं0प्र0सं0 के तहत विद्वान विचारणीय न्यायालय द्वारा जमानत प्रदान की गयी है। अपीलकर्ता का यह भी तर्क है कि प्रकरण में की गयी विवेचना दोषपूर्ण है तथा विवेचना सही तथ्यों पर न करके अपीलकर्ता को झूठे एवं बेबुनियाद आरोपों के आधार पर जानबूझकर फंसाये जाने के उद्देश्य से की गयी है जिसमें विधि के आवश्यक प्रावधानों का अनुपालन नहीं किया गया है। अपीलकर्ता एक भारतीय राजनीतिज्ञ है तथा उत्तर प्रदेश से समाजवादी पार्टी का सदस्य है और स्वार विधानसभा का चुनाव जीत चुका है। प्रश्नगत निर्णय एवं आदेश पारित किये जाने के एक दिन पश्चात ही विधानसभा सचिवालय द्वारा अवांछनीय जल्दबाजी दिखाते हुए एवं राजनैतिक द्वेषतापूर्ण रवैया अपनाते हुए दिनांक 15.02.2023 को 34–स्वार विधानसभा क्षेत्र को रिक्त घोषित कर दिया गया है और यह विधि का स्थापित सिद्धांत है कि धारा 8 की उपधारा 1,2 एवं 3 आर0पी0एक्ट, 1951 के तहत निर्योग्यता संबंधी कोई आदेश कथित निर्णय एवं आदेश के स्थगत उपरांत प्रभावी नहीं रहेगा, जैसा कि माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा **"Lok Prahari Vs. Election Commission of India (W.P.(C) No. 330/2016"** में अवधारित किया गया है कि :–

> "Therefore, the disqualification under sub-section (1), (2) or (3) of Section 8 of the Act will not operate from the date of order of Stay of conviction passed by the Appellate Court under Section 389 of the code or the High Court under Section 482 of the Code.....Upon the disqualification under section 8 will not operate."

चूंकि प्रश्नगत निर्णय एवं दोषसिद्धि आदेश अंतर्गत धारा 353,341 भा0दं0सं0 एवं धारा 7 कि0लॉ0ए0एक्ट उस साक्ष्य को विचार में लेकर पारित किया गया है जो विधि अनुसार साक्ष्य में ग्राह्य नहीं है, इसलिये प्रश्नगत निर्णय व आदेश विधि एवं तथ्यों के विरूद्ध है और खण्डित किये जाने योग्य

है और अपीलकर्ता आरोपित आरोपों के तहत बरी किये जाने योग्य है। अगर अपील के विचारण के दौरान प्रश्नगत दोषसिद्धि के निर्णय के क्रियान्यवन पर स्थगन आदेश पारित नहीं किया जाता है तो उपरोक्तानुसार अपीलकर्ता की स्वार विधानसभा क्षेत्र की सदस्यता से अपात्रता/अयोग्यता का आदेश प्रभावी हो जायेगा जिससे क्षेत्र में उपचुनाव कराया जायेगा और इससे अपीलकर्ता को अपूर्णनीय क्षति कारित होगी और यह अपीलकर्ता के साथ नाइंसाफी का सबब होगा। अपीलकर्ता/प्रार्थनापत्र दाता का यह भी तर्क है कि इस मामले में राज्य सरकार द्वारा धारा 321 दं0प्र0सं0 के तहत मामले को वापिस लिये जाने हेतु प्रार्थना पत्र भी दिया गया है, जिसमें अपीलकर्ता/प्रार्थनापत्र दाता का शपथ पत्र भी दिया गया है। अपीलकर्ता/प्रार्थनापत्र दाता का यह भी तर्क है कि उसे राजनीतिक रंजिश/द्वेषिता के कारण विभिनन मुकदमों में झूठा फंसा दिया गया है। अपीलकर्ता/प्रार्थनापत्र दाता का यह भी तर्क है कि माननीय केरला उच्च न्यायालय द्वारा "**Sayed Mohammad Noorul Ameer Versus U.T. Administration of Lakshadweep Represented by the Its Standing Counsel, High Court of Karala, Ernakulam**" में पारित निर्णय दि0 25.01.2023 में अभियुक्त, जो कि धारा 307 भा0दं0सं0 के तहत दोषसिद्ध किया गया था, के दोषसिद्धि के निर्णय एवं दण्डादेश को स्थगित किया गया, तत्पश्चात जिसमें माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा याचिका सं0 85/2023, निर्णय दि0 27.01.2023 के द्वारा माननीय केरला उच्च न्यायालय के आदेश को विधि एवं तथ्यों के अनुरूप पाते हुए इलेक्शन कमिश्नर को माननीय केरला उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया। इसलिये अपीलकर्ता/प्रार्थनापत्र दाता का तर्क है कि उनके विरूद्ध पारित प्रश्नगत निर्णय एवं दण्डादेश को स्थगित/निलम्बित किया जा सकता है। अपीलकर्ता/प्रार्थनापत्र दाता का यह भी तर्क है कि माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा "**Ashok Versus State of Madhya Pradesh**" में यह सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है कि

किशोर अपचारी संबंधी अभिवचन वाद में किसी भी स्तर पर उठाया जा सकता है एवं माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्वाचन सिविल अपील सं0 104 (2220) में पारित निर्णय दि0 07.11.2022 में अपीलकर्ता/प्रार्थनापत्र दाता की जन्मतिथि 01.01.1993 मानी गयी है और अपीलकर्ता/प्रार्थनापत्र दाता द्वारा इस अपील में अपनी जन्मतिथि 30.09.1990 बतायी गयी है। तदानुसार दौरान विचारण अपील, अपीलकर्ता को जमानत प्रदान करने एवं प्रश्नगत दोषसिद्धि निर्णय एवं दण्डादेश के क्रियान्वयन को स्थगित किये जाने का आदेश पारित किये जाने की मांग की गयी है।

3. राज्य की ओर से विशेष अधिवक्ता श्री अनिल प्रताप सिंह एवं विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी द्वारा उपरोक्त स्थगन प्रार्थना पत्र 7बी के विरूद्ध लिखित बहस 26बी प्रस्तुत करते हुए कथन किया गया है कि अपीलकर्ता द्वारा दाखिल प्रस्तुत अपील न्यायिक प्रक्रिया का दुरूपयोग है और इसमें कोई विधिक बल नहीं है तथा खारिज होने योग्य है। आगे उनके द्वारा यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया है कि वर्तमान अपील, अपीलकर्ता की ओर से दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973; सामान्य फौजदारी नियमावली एवं अभिवचनों के प्रारंभिक सिद्धांतों के खिलाफ है क्योंकि अपील के समर्थन में अपीलकर्ता की ओर से स्वयं का शपथ पत्र प्रस्तुत न कर किसी तृतीय पक्षकार का शपथ पत्र दाखिल किया गया है जो कि वर्तमान फौजदारी अपील में पक्षकार नहीं है, जबकि विद्वान विचारणीय न्यायालय से अपीलकर्ता/अभियुक्त को दं0प्र0सं0 की धारा 389 के तहत जमानत इसलिये प्रदत्त की गयी है कि वह विधि अनुसार अपीलीय न्यायालय में सभी अहर्ताएं पूर्ण करते हुए अपील दाखिल कर सके और प्रस्तुत स्थगन प्रार्थना पत्र एवं अपील को निरस्त किये जाने का यही मात्र आधार पर्याप्त है। वर्तमान फौजदारी अपील सद्भावनापूर्वक प्रस्तुत नहीं की गयी है, बल्कि दूषित भाव से योजित की गयी है जो खारिज किये जाने योग्य है। अपीलकर्ता की ओर से अपील में लिये गये आधार विधिक रूप से तर्कहीन हैं एवं प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विपरीत हैं। अपील में लिया

गया प्रथम आधार अपीलकर्ता/अभियुक्त की अवयस्कता के संबंध में है, जबकि अपीलकर्ता/प्रार्थनापत्र दाता द्वारा अपने बारे में कहीं भी विशिष्ट तौर पर किशोर अपचारी होने के संबंध में कोई अनुतोष की मांग नहीं की गयी है और न कोई प्रपत्र अपनी उम्र के बारे में दाखिल किया गया है। राज्य की ओर से यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया है कि माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा "**Abuzar Hussain Versus State ofW.B. (2012) 10 SCC 489**" में यह सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है कि :-

"Claim of juvenility lacking in credibility or frivolous claim of juvenility or patently absurd or inherently improbable claim of junenility must be rejected by the court at the threshold whenever raised."

आगे राज्य की ओर से यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया है कि माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा "**Hema Versus State (2013) 10 SCC 192**" में यह सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है कि :-

"In Dayal Singh Versus State of Uttaranchal {(2012) 8 SCC 263}, while reiterating the principles rendered in C. Muniappan {(2010) 9 SCC 567}, this court held thus : ....Merely because PW 3 and PW 6 have failed to perform their duties in accordance with the requirements of law, and there has been some defect in the investigation, it will not be to the benefit of the accused persons to the extent that they would be entitled to an order of acquittal on this ground."

अर्थात्, विवेचना की कमियों का कोई लाभ अभियुक्त को नहीं दिया जा सकता। आगे उनका यह भी तर्क है कि अपीलकर्ता/अभियुक्त की अवयस्कता का प्रकरण माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के समक्ष विचाराधीन होने के कारण इस न्यायालय द्वारा विनिश्चित नहीं किया जा सकता है। उक्त याचिका निर्वाचन के संबंध में थी और उसमें निर्धारित होना था कि निर्वाचन

पर्चा भरते समय अपीलकर्ता/प्रार्थनापत्र दाता पच्चीस वर्ष आयु का था अथवा नहीं। आगे उनका यह भी तर्क है कि दोषसिद्धि का निर्णय घोषित होने के उपरांत अपचारी होने संबंधी अभिवचन अपीलीय न्यायालय में अपील के स्तर पर नहीं उठाया जा सकता। अपील में अपीलकर्ता द्वारा लिया गया अन्य आधार त्रुटिपूर्ण विवेचना किया जाना उद्धरित किया गया है जो स्वयं अपने आप में दोषमुक्ति का मात्र आधार नहीं हो सकता जिसके संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा "**C. Muniappan Versus State of T.N. (2010) 9 SCC 56**7" में अवधारित भी किया गया है कि दोषपूर्ण विवेचना का कोई लाभ अभियुक्त को प्रदान नहीं किया जा सकता। राज्य की ओर से विशेष अधिवक्ता एवं विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी का तर्क है कि अपीलकर्ता/प्रार्थनापत्र दाता के संबंध में धारा 321 दं0प्र0सं0 के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज किया जा चुका है और इसका कोई लाभ अपीलकर्ता/प्रार्थनापत्र दाता को नहीं दिया जा सकता। राज्य की ओर से अपीलकर्ता/प्रार्थनापत्र दाता अब्दुल्ला आजम खान के विरूद्ध 51 मुकदमों का विस्तृत आपराधिक इतिहास भी प्रस्तुत किया गया है। इस प्रकार उपरोक्त आधारों पर प्रार्थना पत्र 7बी निरस्त किये जाने की मांग की गयी है।

4. अपीलकर्ता/प्रार्थनापत्र दाता के विद्वान अधिवक्ता तथा राज्य की ओर से विशेष अधिवक्ता श्री अनिल प्रताप सिंह एवं विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी द्वारा प्रस्तुत किये गये उपरोक्त तर्कों के आलोक में प्रार्थना पत्र सहित दांडिक अपील एवं विद्वान अवर न्यायालय की पत्रावली का गंभीरतापूर्वक परिशीलन किया।

5. पत्रावली के परिशीलन से ज्ञात है कि किशोर अपचारी होने संबंधी कोई विशिष्ट अनुतोष अपीलकर्ता/प्रार्थनापत्र दाता द्वारा मांगा जाना प्रतीत नहीं होता है। इस संबंध में अपीलकर्ता/प्रार्थनापत्र दाता का कथन है कि माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्वाचन अपील में उसकी जन्मतिथि 01.01.1993 कही गयी है, अतः उसे किशोर मानते हुए प्रश्नगत आदेश द्वारा पारित निर्णय एवं

दण्डादेश को दौराने विचारण अपील निलम्बित किया जाये। जबकि राज्य की ओर से विशेष अधिवक्ता एवं विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी का तर्क है कि स्वयं अपीलकर्ता/प्रार्थनापत्र दाता द्वारा अपनी उम्र सन् 1990 इस वाद में अंकित की गयी है तथा माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा चुनाव याचिका नं0 8/2017 **"Nawab Kazim Ali Khan V. M. Abdullah Azam Khan"** में अपीलकर्ता/प्रार्थनापत्र दाता द्वारा अपनी उम्र सन् 1990 दर्शित की गयी है और किशोर अपचारी संबंधी कोई विशिष्ट प्ली अपीलकर्ता/प्रार्थनापत्र दाता द्वारा वर्तमान केस में नहीं ली गयी है। न ही किशोर अपचारी होने का अनुतोष याचित किया गया है और न ही किशोर अपचारी होने के संबंध में कोई प्रपत्र ही दाखिल किया गया है। इससे विशेष अधिवक्ता एवं विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी का उपरोक्त तर्क माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा **"Abuzar Hussain Versus State ofW.B. (2012) 10 SCC 489"** में प्रतिपादित सिद्धांत के आलोक में इस स्तर पर स्वीकार होने योग्य है कि किशोर अपचारी होने के संबंध में कोई विशिष्ट अनुतोष अपीलकर्ता द्वारा इस केस में नहीं मांगा गया है और न इस संबंध में कोई प्रपत्र/स्कूल प्रमाण पत्र आदि प्रस्तुत किया गया है। इसलिये किशोर अपचारी होने के संबंध में कोई निष्कर्ष प्रार्थनापत्र 7बी के निस्तारण के स्तर पर नहीं दिया जा सकता, जबकि अपीलकर्ता की उम्र के संबंध में जन्मतिथि विवाद पहले से विद्यमान एवं विचाराधीन होना उद्धरित किया गया है।

6. अपीलकर्ता/प्रार्थनापत्र दाता के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि प्रस्तुत प्रकरण में की गयी विवेचना दोषपूर्ण है तथा विवेचना सही तथ्यों पर न करके अपीलकर्ता को झूठे एवं बेबुनियाद आरोपों के आधार पर जानबूझकर राजनीतिक द्वेषतापूर्ण फंसाये जाने के उद्देश्य से की गयी है जिसमें विधि के आवश्यक प्रावधानों का अनुपालन नहीं किया गया है। जबकि विद्वान अभियोजन अधिकारी का इस संबंध में तर्क है कि अपील में अपीलकर्ता द्वारा

लिया गया त्रुटिपूर्ण विवेचना का आधार, स्वयं अपने आप में दोषमुक्ति का मात्र आधार नहीं हो सकता। जिससे विशेष अधिवक्ता एवं विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी का उपरोक्त तर्क इस स्तर पर स्वीकार होने योग्य है क्योंकि इस संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा "**C. Muniappan Versus State of T.N. (2010) 9 SCC 56**7" में अवधारित किया गया है कि त्रुटिपूर्ण अथवा दोषपूर्ण विवेचना का कोई लाभ प्रार्थना पत्र 7बी के निस्तारण के स्तर पर अभियुक्त को प्रदान नहीं किया जा सकता, यह अपील के गुणदोष के निस्तारण के समय अन्तिम बहस के उपरांत ही विचार में लिया जा सकता है।

7. अपीलकर्ता/प्रार्थनापत्र दाता के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि अपीलकर्ता एक भारतीय राजनीतिज्ञ है तथा उत्तर प्रदेश से समाजवादी पार्टी का सदस्य है और स्वार विधानसभा का चुनाव जीत चुका है। प्रश्नगत निर्णय एवं आदेश पारित किये जाने के एक दिन पश्चात ही विधानसभा सचिवालय द्वारा अवांछनीय जल्दबाजी दिखाते हुए एवं राजनैतिक द्वेषतापूर्ण रवैया अपनाते हुए दिनांक 15.02.2023 को 34–स्वार विधानसभा क्षेत्र को रिक्त घोषित कर दिया गया है, उसे राजनीतिक द्वेष के कारण झूठा फंसाया गया है। जबकि अभियोजन पक्ष का इस संबंध में तर्क है कि अपीलकर्ता को झूठा फंसाया जाने का कोई आधार नहीं दर्शाया गया है जबकि अपीलकर्ता के विरूद्ध काफी लम्बा आपराधिक इतिहास है और उसके विरूद्ध 51 आपराधिक मामले दर्ज हैं, जिससे अपीलकर्ता को रंजिशन फंसाया जाना दर्शित नहीं होता है। विशेष अधिवक्ता एवं विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी का उपरोक्त तर्क इस स्तर पर स्वीकार होने योग्य है क्योंकि अपीलकर्ता के विरूद्ध 51 आपरााधिक मामलों का विस्तृत आपराधिक इतिहास अभियोजन की ओर से प्रस्तुत किया गया है और रंजिश की कोई युक्तियुक्त अकाट्य साक्ष्य भी प्रस्तुत नहीं की गयी है।

8. अपीलकर्ता/प्रार्थनापत्र दाता के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि अपील के

विचारण के दौरान प्रश्नगत दोषसिद्धि के निर्णय के क्रियान्यवन पर स्थगन आदेश पारित नहीं किया जाता है तो अपीलकर्ता की स्वार विधानसभा क्षेत्र की सदस्यता से अपात्रता/अयोग्यता का आदेश प्रभावी हो जायेगा जिससे क्षेत्र में उपचुनाव कराया जायेगा और काफी राजस्व की हानि होगी एवं इससे अपीलकर्ता को अपूर्णनीय क्षति कारित होगी। जबकि अभियोजन पक्ष का इस संबंध में तर्क है कि किसी व्यक्ति/विधायक के दोषी सिद्ध हो जाने के उपरांत उसे संबंधित क्षेत्र से अयोग्य करारे देने को उसे अपूर्णनीय क्षति होना नही कहा जा सकता, बल्कि यह क्षेत्रवासियों के साथ इंसाफ होने की श्रेणी में है। विशेष अधिवक्ता एवं विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी का उपरोक्त तर्क इस स्तर पर स्वीकार होने योग्य है क्योंकि दोषी व्यक्ति की सदस्यता निरस्त होने अथवा उसके अयोग्य घोषित होने को उसके साथ इस स्तर पर नाइंसाफी होना अथवा उसे अपूर्णनीय क्षति होना प्रतीत नहीं होता है।

9. राज्य की ओर से विशेष अधिवक्ता एवं विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी का आगे तर्क है कि माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा "**Lok Prahary through its secretary V. Election Commission of India and Others (2018) 18 Supreme Court Cases 114**" एवं अन्य मामलों में यह अवधारित किया गया है कि अभियुक्त के विरूद्ध पारित दोषसिद्धि एवं दण्डादेश निर्णय का निलम्बन बहुत ही विशेष परिस्थितियों में दुर्लभ से दुर्लभतम मामलों में ही किया जाना चाहिये। राज्य की ओर से अपीलकर्ता/प्रार्थनापत्र दाता के विरूद्ध काफी विस्तृत 51 मामलों का आपराधिक इतिहास होना भी उद्धरित किया गया है। राज्य की ओर से विशेष अधिवक्ता एवं विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी का तर्क है कि अपीलकर्ता/प्रार्थनापत्र दाता के संबंध में धारा 321 दं0प्र0सं0 के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज किया जा चुका है और इसका कोई लाभ अपीलकर्ता/प्रार्थनापत्र दाता को नहीं दिया जा सकता। विशेष अधिवक्ता एवं विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी का उपरोक्त तर्क उपरोक्त विधि

व्यवस्थाओं के आलोक में एवं उक्त उद्धरित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में इस स्तर पर स्वीकार होने योग्य है क्योंकि वर्तमान मामला अपीलकर्ता/प्रार्थनापत्र दाता के विरूद्ध लम्बित आपराधिक मुकदमों को ध्यान में रखते हुए इस स्तर पर दुर्लभतम मामलों में होना नहीं प्रतीत होता है।

10. अपीलकर्ता/प्रार्थनापत्र दाता दौराने विचारण अपील इस न्यायालय के आदेश दि0 20.02.2023 से जमानत पर है। तदानुसार अपीलकर्ता/प्रार्थनापत्र दाता की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 7बी प्रश्नगत निर्0य दि0 13.02.2023 एवं दण्डादेश दि0 13.02.2023 को स्थगित किये जाने के संबंध में निरस्त किये जाने योग्य है।

आदेश

अपीलकर्ता/प्रार्थनापत्र दाता मौ0 अब्दुल्ला आज़म खान की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 7बी, प्रश्नगत दोषसिद्धि निर्णय एवं दण्डादेश दि0 13.02.2023 को स्थगित किये जाने के संबंध में निरस्त किया जाता है।

अपील पत्रावली वास्ते अग्रिम सुनवाई दिनांक 15.03.2023 को पेश हो।

दिनांकः 28–02–2023

(पुनीत कुमार गुप्ता)
(आई0डी0 नं0 यू0पी0 6114)
अपर सत्र न्यायाधीश,कोर्ट सं0 02/
विशेष न्यायाधीश (एम.पी./एम.एल.ए.)
मुरादाबाद।

Digitally signed by Punit Kumar Gupta
Date: 2023.02.28 16:29:36 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court